भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 209

21 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

कुशल भंडारण प्रणालियों का विकास

***209. श्री के. नवासखनी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खराब न होने वाले और खराब होने वाले दोनों उत्पादों के लिए खेत, गांव, ब्लॉक और क्षेत्रीय स्तर पर कुशल भंडारण प्रणाली (भंडार, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर, एकीकृत कोल्डचेन, साइलो आदि) विकसित करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 21.12.2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 209 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण

(क): जी हां।

(ख): (1.) केन्द्रीय पूल में खरीद के बाद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य सरकार द्वारा मुख्यतः खाद्यान्नों का भंडारण किया जाता है। दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम (353.60 लाख टन) और राज्य एजेंसियों (359.65 लाख टन) के पास 713.25 लाख टन की क्षमता उपलब्ध है। केन्द्रीय पूल में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की जरूरत तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत वितरण पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम भंडारण क्षमता का लगातार आकलन और निगरानी करता है तथा भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, भंडारण क्षमताओं को सृजित किया जाता है/ किराए पर लिया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम निम्न योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता में वृद्धि करता है:-

(i) **सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण-** भंडारण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए, भारत सरकार ने देश में पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) पद्धति पर स्टील साइलोज़ के निर्माण हेतु कार्य-योजना को अनुमोदित किया। इस योजना के तहत 12.25 लाख टन की क्षमता के साइलोज़ का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। पिछले रेलवे साइडिंग साइलोज़ मॉडल के कार्यान्वयन में निहित मुद्दों और भंडारण क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा देशभर में अनाज साइलोज़ के विकास के लिए एक नया हब एवं स्पोक मॉडल अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हब एवं स्पोक मॉडल के अंतर्गत पीपीपी पद्धति में 111.125 लाख टन की साइलोज़ क्षमता को 3 चरणों में लागू किया जाना प्रस्तावित है। चरण-I में, भारतीय खाद्य निगम की अपनी भूमि वाले 14 स्थानों पर 10.125 लाख टन क्षमता से संबंधित निविदा कार्य को सौंपा गया है और निजी भूमि वाले 66 स्थानों पर 24.75 लाख टन के संबंध में, दिनांक 01.11.22 को निविदा खोली गई हैं और उनकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(ii) **निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना -** मौजूदा भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के जरिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के अंतर्गत 24 राज्यों में पीपीपी पद्धति में गोदामों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 146.10 लाख टन की क्षमता का निर्माण किया गया है।

....2/-

(iii) **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (पूर्ववर्ती योजना) (सीएसएस):** सरकार पूर्वोत्तर (एनई) क्षेत्र के राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में भंडारण क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोदामों के निर्माण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, भूमि अधिग्रहण तथा भंडारण गोदामों के निर्माण और रेलवे साइडिंग, विद्युतीकरण, तोल सेतु (वेब्रिज) आदि जैसी आधारभूत अवसंरचनाओं के लिए इक्विटी के रूप में भारतीय खाद्य निगम को निधि सीधे जारी की जाती है। जम्मू और कश्मीर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भंडारण अंतराल के साथ-साथ कठिन भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में मध्यवर्ती भंडारण गोदामों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के रूप में निधि जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2012 से 2,82,845 टन की कुल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है।

(iv) **केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)/राज्य वेयरहाउसिंग से गोदाम किराए पर लेना**: भंडारण स्थान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय भंडारण निगमों (सीडब्ल्यूसी)/राज्य भंडारण निगमों से भी गोदामों को गारंटीशुदा आरक्षण के आधार पर किराए पर लिया जाता है। दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय भंडारण निगमों से 28.93 लाख टन क्षमता और राज्य भंडारण निगमों (83.52 लाख टन)/राज्य एजेंसियों (5.38 लाख टन) से 88.90 लाख टन भंडारण क्षमता को किराए पर लिया गया है।

(v) **निजी वेयरहासिंग योजना (पीडब्ल्यूएस):** इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, निजी पार्टियों से निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) के तहत ई-निविदा के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों को दो वर्ष के गारंटीशुदा किराए पर लिया जाता है, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ताकि भंडारण स्थान की तत्काल/शीघ्र आवश्यकता को पूरा किया जा सके। दिनांक 01.11.2022 की स्थिति के अनुसार, निजी वेयरहाउसिंग योजना के माध्यम से 8.09 लाख टन की क्षमता किराए पर ली गई है।

इसके अतिरिक्त, गोदामों में खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण, परिरक्षण और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं।

2. वर्ष 2021-22 के दौरान, केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने 3.45 लाख टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण किया है। दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय भंडारण निगम की कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 107.10 लाख टन है। इसके अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम 395 टन की एक शीत भंडारण क्षमता का प्रचालन कर रहा है।

....3/-

3. वैज्ञानिक भंडारण क्षमता और फसल कटाई के बाद तथा हैंडलिंग हानि को कम करने के साथ-साथ कृषि विपणन अवसंरचना के सृजन हेतु, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार देशभर में कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना (आईएसएएम) की "कृषिगत विपणन अवसंरचना (एएमआई)" उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह एक ऋण संबंधी (क्रेडिट लिंक्ड) योजना है जिसके अंतर्गत 25% की दर पर बैक एंडेड पूंजीगत सब्सिडी और 33.33% की दर पर लाभार्थियों के पात्र वर्ग के आधार पर सब्सिडी उपलब्ध है। व्यक्तियों, किसानों, कृषक/उत्पादक समूहों, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि को सहायता प्रदान की जाती है। एएमआई उप-योजना के अंतर्गत, शुरूआत से अर्थात् दिनांक 01.04.2001 से दिनांक 30.11.2022 तक, 740.43 लाख टन क्षमता की कुल 42,164 भंडारण (केवल सूखा भंडारण) अवसंरचना परियोजनाओं (गोदामों) को सहायता प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवनी के समग्र विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, शीघ्र नष्ट होने वाली बागवानी फसलों के लिए फसल कटाई के पश्चात् प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता उपलब्ध है, जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, शीत कक्षों की स्टेजिंग, शीत भंडारण, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर परिवहन, प्राथमिक/मोबाइल प्रसंस्करण इकाइयों की संस्थापना, पक्के (राइपेनिंग) चैम्बरों और एकीकृत शीत आपूर्ति प्रणाली आदि की स्थापना शामिल हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत, एक उद्यमी किसी व्यक्तिगत घटक या विभिन्न घटकों के संयोजन के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक ऋण संबंधी (क्रेडिट लिंक्ड) और बैक एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। ये घटक वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमियों द्वारा संचालित किए जाते हैं जिसके लिए सरकारी सहायता ऋण संबंधी (क्रेडिट लिंक्ड) और बैक एंडेड है और यह संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है।

इसके अलावा, वर्ष 2014-15 से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषिगत फसलों की गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर सब-मिशन भी कार्यान्वित कर रहा है ताकि देश के किसानों को अपेक्षित मात्रा में बीज उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत, देश में ग्राम पंचायत स्तर पर 60.00 लाख रुपए (भारत सरकार का 100% अंश) की दर पर प्रत्येक 500 टन क्षमता के 500 बीज प्रसंस्करण-सह-भंडारण गोदाम इकाइयों की स्थापना की जानी है, ताकि ग्राम के स्तर पर ही गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए किसानों द्वारा स्वयं ही बीजों का उत्पादन किया जा सके।

....4/-

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन (आईसीसी और वीए) योजना के तहत, तैयार वस्तुओं के प्रसंस्करण और भंडारण हेतु इकाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शीत भंडारण स्थापित/विकसित किए जाते हैं। देश में एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन योजना (आईसीसी और वीए) में शीघ्र नष्ट होने वाले और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए **8.38** लाख टन की शीत भंडारण क्षमता को विकसित/तैयार किया है।

5. भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), भांडागारों को इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम्य भांडागार रसीद (ईएनडब्ल्यूआर) जारी करने के लिए सक्षम बनाने हेतु पंजीकृत करता है। तथापि, सभी भांडागारों का भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकरण अनिवार्य नहीं है और केवल उन भांडागारों को ही भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है जो पराक्रम्य भांडागार रसीद (एनडब्ल्यूआर) जारी करते हैं या जारी करने का आशय रखते हैं। यह देश में एनडब्ल्यूआर की प्रणाली को स्थापित करने के लिए किया गया है। यह निर्धारित किया गया है कि इन भांडागारों में सुरक्षित और वैज्ञानिक भंडारण हेतु अपेक्षित अवसंरचना है और इनके द्वारा स्टॉक के उचित अनुरक्षण के लिए निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन किया जाता है। दिनांक 15.12.2022 की स्थिति के अनुसार, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ 3460 सक्रिय भांडागार पंजीकृत हैं।

(ग): प्रश्न नहीं उठता है।

****